विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कृषि इन्पुट्स के उपार्जन तथा वितरण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा विषयक परिच्छेदों से अंतर्विष्ट 28 परिच्छेद शामिल हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीखा निष्कर्षों का वर्णन निम्नवत् है:

2010-15 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 15962 करोड़ से बढ़कर ₹ 22734 करोड़ हो गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2010-11 में ₹ 13946 करोड़ से 42 *प्रतिशत* बढ़कर 2014-15 में ₹ 19787 करोड़ हो गया जबकि 2010-15 अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 1789 करोड़ से 38 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 2473 करोड़ हो गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा

कृषि इन्पुट्स का उपार्जन एवं वितरण के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

- 2010-15 के दौरान, नमूना जांच किए गए जिलों ने कोषागार के साथ ₹ 264.29 करोड़ की प्राप्तियों का मिलान नहीं किया था और राज्य में किसानों से वसूल किए गए ₹ 3.68 करोड़ के इन्पुट्स की बिक्री लब्धि सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई गई थी।

(परिच्छेद 2.1.3.3 तथा 2.1.3.4 (i) व (iii) से (v))

- नमूना जांच किये गए जिलों में, 2010-15 के दौरान किसानों को बुआई मौसमों के बाद ₹ 9.39 करोड़ मूल्य के 33011.10 क्विंटल बीज (गेहूं: 28909.63 क्विंटल तथा मक्का: 4101.47 क्विंटल) वितरित किए गए थे।

(परिच्छेद 2.1.4.3)

- 2010-15 के दौरान 6.38 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की आवश्यकता के प्रति उपार्जक अभिकरणों ने किसानों को 5.38 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की आपूर्ति की थी, परिणामत: एक लाख मीट्रिक टन की कमी हुई।

(परिच्छेद 2.1.5.1)

- विभाग ने 2010-15 के दौरान प्रतियोगी नीलामी प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ₹ 7.88 करोड़ मूल्य के आलू के 30623.50 क्विंटल बीजों का उपार्जन किया था।

(परिच्छेद 2.1.6.1)

- 2010-15 के दौरान इन्पुट्स के 18,400 नमूनों की जांच के लक्ष्य के प्रति जांच प्रयोगशालाओं ने 11,998 नमूनों की जांच की थी, परिणामत: 6,402 नमूनों (35 *प्रतिशत*) की कमी हुई।

(परिच्छेद 2.1.7.2)

- विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र अप्रभावी था क्योंकि नियंत्रण पंजिकाएं तथा अपेक्षित, उपार्जित एवं वितरित इन्पुट्स का पूर्ण डाटाबेस का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 2.1.8.2 तथा 2.1.9.1 से 2.1.9.4)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत् है:

- कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना को 2010-15 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिलों, खण्डों एवं गांवों की आवश्यकताओं पर बिना ध्यान दिये तैयार किया गया था। स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकता की पहचान अपर्याप्त थी क्योंकि राज्य में मार्च 2015 तक गृह सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 2.2.2.1 एवं 2.2.2.2)

- कुल उपलब्ध निधियों में से 2010-15 के दौरान 19 से 47 *प्रतिशत* निधियां मिशन निदेशक के पास अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

(परिच्छेद 2.2.4)

- भारतीय जन स्वास्थ्य मानकानुसार राज्य में 3390 डॉक्टरों की तैनाती मानकों के प्रति 1213 डॉक्टरों के पद संस्वीकृत किए गए तथा मार्च 2015 तक 1059 (31 *प्रतिशत*) डॉक्टर कार्यरत थे। इसी तरह, राज्य में स्वास्थ्य उप-केन्द्रों हेतु अपेक्षित 6195 स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के प्रति मात्र 3032 (49 *प्रतिशत*) स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता कार्यरत थे।

(परिच्छेद 2.2.6.1)

- 2010-15 के दौरान बी0सी0जी0, खसरा, डी0पी0टी0, हेपेटाइटिस बी तथा टी0टी0 हेतु बच्चों के प्राथमिक तथा द्वितीयक प्रतिरक्षण के लक्ष्य की उपलब्धि प्रतिशतता क्रमश: 42 एवं 114 तथा 66 एवं 95 के मध्य थी। 166 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (500 में से) में कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

(परिच्छेद 2.2.7.6 एवं 2.2.7.8)

- चल चिकित्सा इकाइयों को परिचालित नहीं किया गया था तथा इस हेतु मई 2014 में उपार्जित 10 वाहन मई 2015 तक बेकार पड़े थे। राज्य में 19 स्थानों पर टेलीमेडिसीन परियोजना 2009 से निष्क्रिय पड़ी थी।

(परिच्छेद 2.2.7.13 एवं 2.2.7.14)

- अनुश्रवण कमजोर था, जच्चा-बच्चा का पता लगाने की प्रणाली हेतु विस्तृत कॉल सेंटर, किशोर स्वास्थ्य सलाह तथा समर्पित हैल्पलाईन को पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद स्थापित नहीं किया गया।

(परिच्छेद 2.2.7.15 एवं 2.2.12)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना को 2013-15 के दौरान उच्चत्तर शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तर पर, पाठशाला स्तर की विकासात्मक योजना का विचार किए बिना, तैयार किया गया था।

(परिच्छेद 2.3.2.1)

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 348.47 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से विभाग कार्यक्रम के विभिन्न घटकों पर केवल ₹ 218.67 करोड़ ही खर्च कर सका तथा मार्च 2015 तक ₹ 129.80 करोड़ (37 *प्रतिशत*) अप्रयुक्त रहे।

(परिच्छेद 2.3.3)

- पांच आदर्श पाठशालाओं के निर्माणार्थ भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मार्च 2010 में प्रदान किए गए ₹ 7.23 करोड़ में से ₹ 4.70 करोड़ कार्य की धीमी गति (एक) तथा बाधामुक्त जमीन उपलब्ध न करवाने (चार) के कारण निष्पादन अभिकरण के पास अप्रयुक्त रहे।

(परिच्छेद 2.3.4.6)

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परियोजना चरण-II के क्रियान्वयन में विलम्ब समय पर निविदाओं को अंतिम रूप न देने के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप राजकीय पाठशालाओं के विद्यार्थियों को परियोजना के अभिप्रेत लाभों से मार्च 2015 तक वंचित रहना पड़ा।

(परिच्छेद 2.3.6.1)

- पाठशालाओं में अध्यापन एवं अध्यापन सहायता स्टाफ के संवर्ग में कमी थी। पाठशालाओं में उक्त स्टाफ की कमी प्रतिशतता मार्च 2015 तक 14 एवं 39 के बीच थी। अन्य/गैर-शिक्षण कर्मियों की संस्वीकृत संख्या शिक्षण कर्मियों की संख्या का 80 *प्रतिशत* थी जो बहुत अधिक थी।

(परिच्छेद 2.3.8)

- 2011-15 के दौरान परीक्षा परिणाम बहुत खराब थे क्योंकि दो से 16 के मध्य पाठशालाओं की कक्षा X का परिणाम शून्य *प्रतिशत* था तथा 134 तथा 232 के मध्य पाठशालाओं का परिणाम 25 *प्रतिशत* से कम

था। इसी प्रकार, 2014-15 के दौरान कक्षा XII में 10 पाठशालाओं का परिणाम शून्य *प्रतिशत* था तथा 48 पाठशालाओं का परिणाम 25 *प्रतिशत* से कम था।

(परिच्छेद 2.3.9)

- मार्च 2015 तक विभाग द्वारा स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंध स्थापित नहीं किये गये थे।

(परिच्छेद 2.3.10)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

- लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी पात्र निवास-स्थानों को सर्वमौसमी सड़क सम्पर्क उपलब्ध करवाने हेतु स्पष्ट महत्त्वपूर्ण घटनाओं तथा समय सीमाओं सहित दीर्घावधि मास्टर योजना तैयार नहीं की गई थी तथा कार्यक्रम के अंतर्गत 1,093 पात्र निवास-स्थान राज्य में मार्च 2015 तक सम्पर्क विहीन रहे थे।

(परिच्छेद 2.4.2.1 (i))

- सड़क संरेखण हेतु 'ट्रांसेक्ट वॉक' प्रक्रिया का अनुसरण न करने के कारण 2001-10 के दौरान ₹ 172.71 करोड़ में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 117 सड़कों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को निजी/वन भूमि की संलिप्तता के कारण हटाना पड़ा था (जनवरी 2012 तथा सितम्बर 2013 के मध्य)।

(परिच्छेद 2.4.2.6 (i))

- उपलब्धता के प्रति 2010-14 के दौरान ₹ 99.78 करोड़ तथा ₹ 314.44 करोड़ के मध्य कार्यक्रम निधियां अप्रयुक्त रही जो वित्तीय नियंत्रण का अभाव दर्शाती थी।

(परिच्छेद 2.4.3.1 (i))

- 20 नमूना-जांचित मण्डलों में ₹ 358.28 करोड़ में भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत 252 निर्माण कार्य (जनवरी 2002 तथा जुलाई 2014 के मध्य) 2012-15 के दौरान ठेकेदारों को आवंटित किए गए थे जिनमें 81 तथा 2640 दिनों के मध्य विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप कार्यों के निष्पादन में आगे भी विलम्ब हुआ।

(परिच्छेद 2.4.4.1)

- सभी नमूना-जांचित मण्डलों में 2010-15 के दौरान पूर्ण किए जाने के लिए निर्धारित 275 निर्माण कार्यों में से 200 निर्माण कार्य पूर्ण किए गए थे तथा 75 निर्माण कार्य, जिन पर ₹ 54.69 करोड़ का व्यय किया गया था, 48 महीनों से अधिक समय से अपूर्ण पड़े थे।

(परिच्छेद 2.4.5.1 (ii))

- गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र अप्रभावी था क्योंकि नमूना-जांचित मण्डलों के अधिशासी अभियंताओं ने 2010-15 के दौरान राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षकों (441) तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता पर्यवेक्षकों (44) द्वारा असंतोषजनक प्रतिवेदित 485 कार्यों के सुधार हेतु कार्रवाई नहीं की थी।

(परिच्छेद 2.4.8.3 (ii) तथा (iii))

अनुपालना लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश सहकारी दुग्ध उत्पादक फेडरेशन (मिल्कफेड) सीमित की कार्य प्रणाली

2012-15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 16.03 करोड़ के अनुदान में से मिल्कफेड द्वारा ₹ 11.54 करोड़ का व्यय किया गया तथा ₹ 4.49 करोड़ मार्च 2015 तक अप्रयुक्त पड़े रहे थे। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित के साथ जनवरी 2004 से ₹ 5.00 करोड़ की नकद साख सीमा समायोजित न किये जाने के परिणामस्वरूप मार्च 2015 तक ₹ 22.72 करोड़ (मूलधन: ₹ 2.69 करोड़ तथा ब्याज: ₹ 20.03 करोड़) की दायिता शेष थी। 2012-15 के दौरान लक्ष्य के प्रति दुग्ध उपार्जन में कमी 09 एवं 18 *प्रतिशत* तथा दुग्ध बिक्री में कमी

10 एवं 44 *प्रतिशत* के मध्य थी। मिल्कफेड ने दुग्ध उत्पादों को बनाने के लिये दूध के उपयोग हेतु उत्पाद-वार मानक निर्धारित नहीं किया था। नौ दुग्ध शीतलन केंद्रों और तीन दुग्ध विधायन संयंत्रों की क्षमता प्रयुक्ति 03 एवं 48 *प्रतिशत* के मध्य थी।

(परिच्छेद 3.1)

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायक कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम)

2012-15 के दौरान 1248 मामलों में खाना पकाने की लागत हेतु ₹ 42.61 लाख की निधियां प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा 20 तथा 175 दिनों के मध्य के विलम्ब सहित स्कूलों को देरी से जारी की गई थी। स्कीम निधियों पर अर्जित किये गये ₹ 33.31 लाख के ब्याज की सूचना स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र को नहीं दी गई थी। 2007-12 के दौरान ₹ 3.13 करोड़ के लिए संस्वीकृत 507 रसोई घर-सह-भण्डारों का निर्माण कार्य मार्च 2015 तक ₹ 2.03 करोड़ का व्यय करने के बाद अपूर्ण था तथा ₹ 3.46 करोड़ की लागत वाले 430 रसोई घरों का निर्माण कार्य अप्रैल 2015 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.3)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के लिए तैयारी

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नये सिरे से लाभार्थियों की पहचान नहीं की थी तथा राज्य में 5.76 लाख लाभार्थियों की पहचान नहीं हुई थी जिसके कारण राज्य विद्यमान दरों पर 5.08 लाख टन खाद्यान्न प्राप्त कर रहा था। कागज के राशन कार्ड के स्थान पर स्मार्ट कार्डों तथा घर की सबसे उम्रदराज औरत के नाम से बने राशन (स्मार्ट) कार्डों को भी जारी नहीं किया गया था। अप्रैल 2015 तक लक्षित जन वितरण प्रणाली के शुरू से लेकर अंत तक का कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित नहीं किया गया था तथा ₹ 6.74 करोड़ की अप्रयुक्त निधियां बैंक बचत खाते में पड़ी रही थी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए वाहन ट्रेकिंग प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा रहा था तथा अप्रैल 2015 तक उचित मूल्य की दुकानों का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया था। खण्ड स्तर पर सतर्कत्ता समितियों का गठन नहीं किया गया था तथा उचित मूल्य की दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन में छः तथा 100 *प्रतिशत* के मध्य कमी थी।

(परिच्छेद 3.4)

मंदिर न्यास को अनुचित लाभ पहुंचाना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ज्वालामुखी के भवन को श्री ज्वालामुखी मंदिर न्यास के भवन से बदलने के निर्णय से न्यास को ₹ 6.27 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(परिच्छेद 3.6)

प्रवाह सिंचाई स्कीमों की कार्यप्रणाली

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के छः नमूना जांच किए गए मण्डलों में 2010-15 के दौरान वितीय वर्ष के अंत में कोषागार से ₹ 18.27 करोड़ आहरित किए गये तथा उनको वास्तविक प्रयुक्ति के बिना प्रवाह सिंचाई स्कीमों के प्रति अन्तिम व्यय/सामग्री की बुकिंग के रूप में दर्शाया गया। नौ मण्डलों में, 46 प्रवाह सिंचाई स्कीमें (91 में से) जिन पर ₹ 42.25 करोड़ खर्च किए गए थे, मार्च 2015 तक अपूर्ण पड़ी थी। पांच नमूना जांच किए गए मण्डलों में 2012-15 के दौरान ₹ 20.02 करोड़ की लागत से 21 प्रवाह सिंचाई स्कीमों में सृजित सिंचाई क्षमता का अनुकूलमत रूप से उपयोग नहीं किया गया। विभागीय अधिकारियों ने 2012-15 के दौरान प्रवाह सिंचाई स्कीमों के निष्पादन का अनुश्रवण नहीं किया तथा प्रवाह सिंचाई स्कीमों का निर्धारित निरीक्षण भी नहीं किया गया।

(परिच्छेद 3.7)

जलापूर्ति स्कीमों के संवर्धन पर निरर्थक निवेश तथा ब्याज की हानि

जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन हेतु समय पर कार्रवाई प्रारम्भ करने में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की योजना का अभाव तथा विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 53.57 करोड़ का निरर्थक निवेश तथा ₹ 3.31 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.10)

मल-निकास स्कीम के निष्पादन पर निष्फल व्यय

मल-निकास स्कीम को समय पर पूर्ण करने में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की योजना का अभाव तथा अक्षमता के परिणामस्वरूप ₹ 6.80 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(परिच्छेद 3.11)

निधियों का कुप्रबन्धन

राज्य में नर्सिंग सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य नर्सिंग परिषद् द्वारा प्राप्त अनुदान की प्रयुक्ति हेतु उचित योजना के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ की उपलब्ध निधियों का कुप्रबन्धन हुआ।

(परिच्छेद 3.12)

अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

लघु जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 2,473 मेगा वाट जल विद्युत उत्पादन लक्ष्य के प्रति मार्च 2015 तक प्रारम्भ की गई 97 लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उपलब्धि मात्र 476 मेगा वाट (19 *प्रतिशत*) रही। राज्य ऊर्जा विभाग द्वारा क्षमता सवंर्धन हेतु चार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से ₹ 7.80 करोड़ के अपफ्रंट प्रीमियम तथा पर्यावरण प्रबंध योजना आदि के लिए छः लघु जल विद्युत परियोजनाओं से ₹ 7.12 करोड़ की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की वसूली नहीं की गई थी। वर्ष 2014-15 के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से ₹ 27.17 करोड़ बतौर मुफ्त विद्युत अधिशुल्क हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये गये थे। 33000 मेगा वाट प्राक्कलित सौर ऊर्जा क्षमता के प्रति राज्य में मार्च 2015 तक मात्र 3.29 मेगा वाट का प्रतिष्ठापन किया गया था।

(परिच्छेद 3.13)

क्षमता संवर्धन प्रभारों की वसूली न होना एवं विद्युत परिवर्धक को अनुचित लाभ

जल विद्युत परियोजना के क्षमता संवर्धन का समय पर पता लगाने में बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग की विफलता एवं क्षमता संवर्धन प्रभार, अतिरिक्त मुफ्त विद्युत रॉयल्टी और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के ₹ 209.28 करोड़ के अनुदग्रहण से विद्युत परिवर्धक को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(परिच्छेद 3.14)

कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण तथा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना में नियोक्ता का अंशदान सीमित करने में असफल रहने के कारण ₹ 2.66 करोड़ का अधिक अंशदान हुआ।

(परिच्छेद 3.15)

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

पंचायती राज विभाग ने पिछड़े जिलों में अवसंरचना की कमी के अन्तराल को चिह्नित करने हेतु आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया था। 2012-15 के दौरान ₹ 40.75 करोड़ की कुल उपलब्ध निधि में से जिला परिषद् सिरमौर

ने ₹ 38.94 करोड़ ही उपयोग किया तथा ₹ 1.81 करोड़ की निधि मार्च 2015 तक अप्रयुक्त पड़ी थी। भारत सरकार को 2281 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 20.91 करोड़ के प्रयुक्ति प्रमाण पत्र कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उनकी वास्तविक प्रयुक्ति सुनिश्चित किए बिना ही प्रेषित किए गए। कार्यों को उनकी प्राथमिकता सूची के अनुसार नहीं लिया गया तथा जिला सिरमौर में 2012-15 के दौरान ₹ 37.41 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 22.72 करोड़ (61 *प्रतिशत*) निम्न प्राथमिकता वाले कार्यों पर व्यय किए गए। राज्य सरकार द्वारा मई 2015 तक निर्माण कार्यों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता अनुश्रवण तंत्र स्थापित नहीं किया गया।

(परिच्छेद 3.16)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम का क्रियान्वयन एवं प्रशासन

नोडल जिलों के उपायुक्तों द्वारा 2012-15 के दौरान क्रियान्वयन अभिकरणों को जारी ₹ 57.12 करोड़ के प्रति वास्तविक किए गए व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं था। 24 निर्माण कार्यों पर ₹ 54.00 लाख व्यय किए गए थे जो स्कीम के कार्यक्षेत्र से बाहर थे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की क्षेत्रीय बस्तियों के अवसंरचनात्मक विकास हेतु व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित ₹ 12.39 करोड़ के प्रति नोडल जिलों के उपायुक्तों द्वारा वर्ष 2012-15 के दौरान केवल ₹ 5.44 करोड़ (44 *प्रतिशत*) जारी किए गए थे। 2012-14 के दौरान संस्वीकृत 3710 निर्माण कार्यों में से 3359 निर्माण कार्य (₹ 52.21 करोड़ के लिए अनुमोदित) का निष्पादन प्रगति पर था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी निधियों का अवरोधन होने के अतिरिक्त लाभार्थियों को समय पर लाभ नहीं मिला।

(परिच्छेद 3.17)

सड़क के निर्माण पर निष्फल व्यय

रेल-लाईन के ऊपर पुल का निर्माण करने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में लोक निर्माण विभाग की विफलता के कारण सड़क के निर्माण पर ₹ 2.83 करोड़ का व्यय अधिकांशत: निष्फल रहा।

(परिच्छेद 3.19)

फर्म को अनुचित वित्तीय लाभ तथा निधियों का सन्देहास्पद दुर्विनियोजन

संविदात्मक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिये फर्म के विरूद्ध समय पर कार्रवाई शुरू करने में लोक निर्माण विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ के निष्फल व्यय तथा ₹ 2.58 करोड़ की लागत वृद्धि के अतिरिक्त फर्म को ₹ 2.64 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ तथा ₹ 35.97 लाख का संदेहास्पद दुर्विनियोजन हुआ।

(परिच्छेद 3.25)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीमों का कार्यान्वयन

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग द्वारा पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने के लिए समय सारणी निर्धारित नहीं की गई थी जिसके कारण 2012-15 के दौरान पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में 12 तथा 60 महीनों से भी अधिक के मध्य का विलम्ब हुआ। मृत्यु, पेंशन के लिये अपात्र हो गए व्यक्तियों तथा अन्य स्कीमों से पेंशन की संस्वीकृति प्रतिवेदित करने हेतु तंत्र विद्यमान नहीं था। नमूना जांच किये गये जिलों में पेंशन संवितरण में विलम्ब, अपेक्षित प्रमाण पत्रों के प्राप्त न किये जाने, अपात्र व्यक्तियों को पेंशन की संस्वीकृति एवं संवितरण तथा संवितरित पेंशन के सत्यापित न किये जाने के उदाहरण थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 80 वर्ष से अधिक आयु के नए बनाए गए संवर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वीकृती नहीं की गई थी। ऊना जिले में बायोमिट्रिक प्रणाली द्वारा पेंशन संवितरण उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था। मण्डी जिले में पेंशन कार्यान्वयन हेतु ई-कल्याण प्रणाली वेब-आधारित नहीं थी।

(परिच्छेद 3.27)